

न्यायालय उपजिलाधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़ ।

वाद संख्या- 6
सिद्धार्थ सिंह

काम

गांक्सभ्य,
वाद अन्तर्गत न्यारा- 143 ज०बि०अ०,
भूमि स्थित ग्राम सरायआना देव, परगना सदर
तहसील लालगंज प्रतापगढ़ ।

आदेश

प्रस्तुत वाद सिद्धार्थ सिंह द्वारा इस आदेश का प्रस्तुत किया गया है कि गाटा संख्या-695 व 697क व 700क भूमि का अकृषि धर्म अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसकी जांच नायब तहसीलदार अठेहा से करायी गयी । नायब तहसीलदार अठेहा की जांच आख्या दिनांक 18-11-07 प्रेषित की गयी जो संलग्न पत्रावली है । गाटा संख्या-695/0.131, 697क/0.97 व 700क/0.202 कुल 3 किता/1.369 हे० रुमैना थी कुंवारी चन्द्रावती डिग्री कालेज सरायआना देव के नाम खता संख्या 62 खतौनी सन पसली 1412 से 1417 में संक्रमणीय भूमिधर के खते में अंकित है । उक्त भूमि पर कुछ अंश पर विद्यालय बना है शेष भूमि अकृषि है । उक्त विद्यालय के प्रबंध सिद्धार्थ सिंह हैं । आवेदक का उद्देश्य है व्यक्त्याय करना । इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जो पत्रावली में संलग्न है । नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 18-11-07 जो तहसीलदार लालगंज द्वारा दिनांक 20-11-07 को अग्रसारित किया गया है


इस पत्रावली का अवलोकन किया तथा नायब तहसीलदार अठेहा की आख्या दिनांक 18-11-07 का परिशीलन किया । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 20-11-07 से मैं सहमत हूँ ।

अतः तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 20-11-07 के आधार पर ग्राम सरायआना देव परगना सदर तहसील लालगंज जिला, प्रतापगढ़ की गाटा संख्या-695/0.131, 697क/0.973 व 700क/0.202 कुल 3 किता/1.369 हे० भूमि को कर मुक्त करते हुए अकृषि/आवासी धर्म अंकित किया जाता है । बाद-अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तार हो ।

20/11/07
उप जिलाधिकारी लालगंज,
प्रतापगढ़ ।

20/11/07

20/11/07



उप-जिलाधिकारी
लालगंज